# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 691
अन्तर्गत धारा 111–128 आरटीए

निर्णय दिनांक-27-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री सांगा पि0 गोमना

जति भील उम्र व्यस्क नि0 दरा तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत ....... दिनांक 27-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लै0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा दरा पंचायत समिति देवल में स्थित खाता संख्या 24 पर आराजी नं0 899/717 बिस्वा किता 1 योग रकबा 2 बिघा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लड़ाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी ....... नि0 दरा ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम दरा के खसरा नं0 864/715 रकबा 4 बिघा बीघा ....... बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 4 बिघा की जमाबंदी सम्वत 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा दरा में स्थित खाता संख्या 24 पर आराजी नं.0 899/717 रकबा 2 बिघा कुल किता 1 ....... कुल रकबा 2 बिघा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा दरा मे स्थित खाता संख्या 24 पर आराजी नं.0 899/717 .... रकबा 2 बिघा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बिघा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक ....... के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 900 प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर